

अध्याय-III

लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

अध्याय - III

3. लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों और सांविधिक निगम के लेन-देन की नमूना जाँच करने पर पाये जाने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सन्निहित हैं।

सरकारी कम्पनियाँ

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

3.1 आयकर एवं अग्रिम कर की कम अदायगी के फलस्वरूप आयकर तथा ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर विवरणी दाखिल करने में विलम्ब के कारण वर्ष 2007-08 के व्यापार लाभ के विरुद्ध वर्ष 2005-07 के दौरान हुए व्यापार हानि के विकलन में विफलता और 2007-10 वर्षों के लिए अग्रिम कर की नहीं/कम अदायगी करने के फलस्वरूप आयकर एवं आयकर पर ब्याज ₹ 85.51 लाख का परिहार्य भुगतान।

(क) आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 72 निर्दिष्ट करती है कि किसी कर-निर्धारण वर्ष में “व्यापार या पेशे से लाभ और प्राप्ति” शीर्ष में एक कम्पनी के द्वारा शुद्ध परिणाम हानि हो तो ऐसे हानि अगले क्रमवार आठ कर-निर्धारण वर्षों तक अग्रेषित की जा सकती है तथा क्रमवार वर्षों के लाभ, यदि कोई हो तो, विकलित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 80 यह निर्दिष्ट करती है कि कम्पनी उस हानि को अग्रेषित एवं विकलित तभी कर सकती है जब आयकर विवरणी को निर्धारित तिथि के दिन या पहले धारा 139 (1) के अधीन दाखिल किया हो।

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) के अभिलेखों से हमने यह पाया (अक्टूबर 2011) कि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 का आयकर विवरणी, क्रमशः ₹ 1.09 करोड़ और ₹ 11.02 लाख का घाटा दर्शाते हुए दाखिल किया। फिर भी आयकर विवरणियों को निर्धारित तिथि अर्थात् संबंधित वर्ष के 30 सितम्बर तक दाखिल नहीं किया था, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित था। वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के आयकर विवरणियों को क्रमशः 31 मार्च 2008 और 9 जनवरी 2009 को दाखिल किया गया जिसकी वजह से कम्पनी हानि के अग्रेषण और विकलन करने के फायदे से वंचित रही। इस प्रकार, कम्पनी ने यद्यपि वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 2.93 करोड़ का लाभ अर्जित किया, वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान हुये कुल हानि ₹ 1.20 करोड़ को इस लाभ के विरुद्ध विकलित

नहीं कर सका। इस प्रकार, कम्पनी को ₹ 40.83 लाख¹ आयकर का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(ख) इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर देय है, जहाँ प्रत्येक मामले में वर्ष के दौरान करदाता के द्वारा देय कर दस हजार रुपये² या अधिक है। अधिनियम की धारा 234(बी) निर्दिष्ट करती है कि जहाँ किसी वित्तीय वर्ष में, एक करदाता जो धारा 208 के अधीन अग्रिम कर की अदायगी के लिए उत्तरदायी है, कर अदायगी में चूक करता है या जहाँ करदाता द्वारा भुगतान किये गये अग्रिम कर, निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है तो करदाता को निर्धारित कर के विरुद्ध कम भुगतान किये गये अग्रिम आयकर पर अप्रैल की पहली तिथि से प्रत्येक माह के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 234(सी), यह प्रावधान करती है कि यदि करदाता अग्रिम कर के भुगतान में चूक करता है या देय कर के अग्रिम कर का भुगतान 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर एवं 31 मार्च तक क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत से कम है तो करदाता उस कम राशि पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज अदायगी के लिए दायी होगा। धारा 234(ए) के प्रावधानों के अधीन, यदि किसी निर्धारित वर्ष का आयकर विवरणी, निर्धारित तिथि के बाद दाखिल किया जाता है तो प्रत्येक माह या माह के भाग पर, निर्धारित कर से कम भुगतान किये गये अग्रिम देय कर और कर-कटौती/स्रोत संग्रहण पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज भारित होता है।

हमने पाया कि कम्पनी ने अधिनियम की धाराएँ 234(ए), 234(बी) और 234(सी) के आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2009-10 का आयकर विवरणी निर्धारित तिथि के अंदर न तो दाखिल किया न ही अग्रिम-कर की अदायगी की, जिसकी वजह से ₹ 40.81 लाख ब्याज का भुगतान करना पड़ा। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए, अग्रिम कर के भुगतान किस्त में करने के बजाय एक करोड़ का भुगतान ₹ 95.52 लाख के निर्धारित कर के विरुद्ध मार्च 2009 में किया। जिसके परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 234(सी) के अंतर्गत ₹ 3.87 लाख का परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2012) कि आयकर विवरणी जमा करने में विलम्ब, लेखों के अंतिमीकरण में देरी के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, कम्पनी वर्ष 2007-08 में नीलामी द्वारा केन्दु पत्ते की बिक्री से प्राप्ति में अचानक वृद्धि को कल्पित नहीं कर सकी। उत्तर लेखाओं के समय पर अंतिमीकरण के निश्चितता में विफलता को रेखांकित करता है जिसके परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम की सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007-08 में यद्यपि कम्पनी का बजटीय लाभ ₹ 5.80 करोड़, वास्तविक लाभ ₹ 2.88 करोड़ से बहुत अधिक था, कम्पनी अग्रिम-कर की अदायगी में विफल रही।

¹ ₹ 1,20,12,604 पर 30 प्रतिशत का आयकर (₹ 36.04 लाख) जोड़ आयकर राशि पर 10 प्रतिशत का अधिभार (₹ 3.60 लाख) जोड़ 3 प्रतिशत का शैक्षणिक उपकर (₹ 1.19 लाख)।

² वित्त अधिनियम, 2009 द्वारा 01.04.2009 से “पाँच हजार” का स्थानापन्न।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा निर्धारित समय के अंदर लेखों के अंतिमीकरण, अपने आय का सही आकलन, निर्धारित तिथि के अंदर आयकर विवरणी को दाखिल करने, देय अग्रिम-कर की राशि का निर्धारण और नियत समय के अंदर इसके प्रेषण में विफलता के परिणामस्वरूप:

- वर्ष 2007-08 के व्यापार लाभ के विरुद्ध, वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान हुए व्यापारिक हानियों के अग्रेषण एवं विकलन का लाभ प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से ₹ 40.83 लाख आयकर की अदायगी करनी पड़ी; तथा
- वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए अधिनियम की धारा 234(ए), 234(बी) और 234(सी) के अधीन ब्याज के रूप में ₹ 44.68 लाख का भुगतान करना पड़ा।

मामला सरकार को मई 2012 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतिक्रित है (जनवरी 2013)।

झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड

3.2 श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली नहीं करना

ठेकेदारों के विपत्रों से श्रमिकों के कल्याण उपकर की वसूली नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 18.28 लाख का अतिरिक्त दायित्व, इसके अलावा ब्याज एवं जुर्माना देय।

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) को अधिसूचित किया (अगस्त 1996)। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, एक नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से निर्माण कार्य पर किये गये कुल लागत का कम से कम एक प्रतिशत उपकर लगाना और संग्रहित करना है। प्रावधान यह भी किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में उपकर का संग्रहण स्रोत पर कटौती के माध्यम से सा.क्षे.उ. के द्वारा किया जाएगा। अधिनियम की धारा 8 निर्दिष्ट करता है कि यदि नियोक्ता निर्धारण के आदेश में निहित समय के भीतर उपकर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उस भुगतेय राशि पर दो प्रतिशत की दर से प्रत्येक महीने या प्रत्येक महीने के भाग पर, ब्याज भुगतान के लिए उस समय तक उत्तरदायी होगा जब तक की उस राशि का वास्तविक भुगतान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, धारा 9 उल्लेख करता है कि निर्धारण अधिकारी उपकर की राशि में चूक से अधिक जुर्माना नहीं लगा सकता है।

राज्य सरकार ने झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (कल्याण बोर्ड) का गठन किया (जुलाई 2008)। अधिनियम की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्य सरकार सभी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य

सरकारी एजेंसियों/निकायों, जो कोई भवन और अन्य निर्माण में कार्यरत हैं, को कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर की कटौती को लागू करने और उस राशि को कल्याण बोर्ड में प्रेषित करने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2008)।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2012) कि झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने जनवरी 2009 से मार्च 2010 तक की अवधि के दौरान, ठेकेदारों को भवन और अन्य निर्माण कार्य हेतु ₹ 18.28 करोड़ का ठेका दिया, लेकिन निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) के शर्तों में उपकर की वसूली से संबंधित विशिष्ट उपवाक्य सम्मिलित नहीं किया। परिणामतः, राज्य सरकार के विशेष निर्देश (दिसम्बर 2008) के बावजूद कम्पनी ने ठेकेदारों को भुगतान करते समय ₹ 18.28 लाख की उपकर की कटौती नहीं की। कम्पनी ने मार्च 2010 के बाद ठेकेदारों से किये गये संविदाओं में उपकर की कटौती का प्रावधान सम्मिलित किया और उपकर की नियमित वसूली तथा जमा कल्याण बोर्ड को करता रहा है।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा जनवरी 2009 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान निर्गत एन.आई.टी. में उपकर के लागू करने से संबंधित उपवाक्य को सम्मिलित करने में विफलता के परिणामस्वरूप:

- i) अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ;
- ii) स्रोत पर उपकर की कटौती न करने से ₹ 18.28 लाख का अतिरिक्त दायित्व;
- iii) उपकर की कटौती एवं जमा न होने पर ब्याज एवं जुर्माने का दायित्व;
- iv) उपकर की कटौती नहीं होने तक कल्याण बोर्ड के संसाधनों में संवर्धन नहीं हुआ।

मामला प्रबंधन/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012); उनके उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2013)।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड

3.3 कंडक्टर की अधिप्राप्ति पर निधियों का अवरोध

कार्य निष्पादन के लिए ठोस योजनाओं के बिना ए.सी.एस.आर. डॉंग कंडक्टर की अधिप्राप्ति के फलस्वरूप ₹ 95.74 लाख निधि का अवरोध और कम्पनी को ₹ 78.83 लाख का परिहार्य ब्याज का बोझ।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (कम्पनी), अपने तेनुघाट वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (टी.टी.पी.एस.) से उर्जा उत्पादन करता है और इसे दो फीडरों बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बिहारशरीफ ग्रीड और झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) के पतरातू स्वीचयार्ड द्वारा आपूर्ति करता है। उर्जा की विफलता के दौरान, टी.टी.पी.एस. को झा.रा.वि.बो. के कथारा-लालपनिया 33 के.वी. लाइन (लाइन) से बैक-अप उर्जा लेने की व्यवस्था थी। तथापि, कम्पनी को यह बैक-अप उर्जा का वैकल्पिक स्रोत जनवरी 2004 से उपलब्ध नहीं था चूँकि पावर कंडक्टर की चोरी हो जाने के कारण लाइन संचालन में नहीं था। लाइन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी ने लाइन के पुनर्स्थापन कार्य को करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2006)।

हमने पाया (मार्च 2012) कि कम्पनी ने 128 किलोमीटर का ए.सी.एस.आर. डॉंग कंडक्टर³ (कंडक्टर) की आपूर्ति हेतु एक क्रय आदेश तत्कालिक आधार पर जारी किया (जुलाई 2006)। 12 जुलाई 2006 को सामग्री प्राप्त हुआ और ₹ 99.87 लाख का भुगतान माल ढुलाई भाड़ा, उत्पाद शुल्क और करों सहित किया गया (20 जुलाई 2006)।

तथापि, हमने पाया कि लाइन के महत्व को देखते हुए कार्य की अत्यावश्यकता के बावजूद कम्पनी ने लाइन के निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञता के कमी के कारण, इसके पुनर्स्थापन का कार्य नहीं किया था। फलस्वरूप, कंडक्टर जो लाइन के निर्माण के लिए तत्कालिक आधार पर अधिप्राप्त की गई थी, इसके अधिप्राप्ति के छः वर्ष के बाद भी बिना उपयोग के रही। कम्पनी कंडक्टर का उपयोग अन्य वैकल्पिक उद्देश्य के लिए भी नहीं कर सका और टी.टी.पी.एस. के टाउनशिप के रख रखाव के कार्य के लिए केवल 5.291 किलोमीटर कंडक्टर जारी किया (नवम्बर 2012 तक)।

प्रबंधन, ने तथ्य को स्वीकारते हुए, कहा (जुलाई 2012) कि कार्य को पूर्ण कराने के लिए झा.रा.वि.बो. को कई बार अनुरोध किया गया था और अभी उन्होंने तथ्य की जाँच करने तथा कार्य को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया है। तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि लेखापरीक्षा के द्वारा मामले को उजागर करने के बाद ही कम्पनी ने झा.रा.वि.बो. से लाईन की पुनर्स्थापन के मामले को लिया था (जून 2012)।

³ ए.सी.एस.आर (अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइन्फोर्सड) कंडक्टर महीन मजबूत लेपित इस्पात कोर के साथ अल्युमिनियम तार के कई परत से बना होता है। इनका प्रयोग संचरण एवं वितरण केबल के रूप में होता है, डॉंग कंडक्टर का आकार 36/4.72 ३ 7/1.57 मि.मी. का होता है।

इस प्रकार, लाईन के पुनर्स्थापना के लिए बिना किसी तकनीकी विशेषज्ञता के ही कंडक्टर की अधिप्राप्ति की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.74 लाख⁴ की निधि अवरुद्ध हुई और कम्पनी को अवरुद्ध निधि पर ₹ 78.83 लाख⁵ ब्याज का परिहार्य बोझ हुआ।

मामला सरकार को जुलाई 2012 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2013)।

3.4 झारखण्ड राज्य के सरकारी कम्पनियों में निगमित शासन

3.4.1 प्रस्तावना

निगमित शासन प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सिद्धान्तों का एक समूह है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन द्वारा कम्पनी का शासन सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में है। निगमित शासन एक सैद्धांतिक प्रक्रिया और संरचना प्रदान करता है जिसके माध्यम से कम्पनी के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यह मूलतः प्रणाली को सूचित करता है जिसके द्वारा हितधारकों के हित में निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) द्वारा कम्पनी को निर्देश और नियंत्रण किया जाता है। निगमित शासन, कम्पनी के मामले में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है:

- निगमित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त प्रकटीकरण और प्रभावी निर्णय;
- व्यापारिक लेनदेनों में पारदर्शिता;
- सांविधिक और कानूनी अनुपालन;
- शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा;
- व्यापार के मूल्यों और नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता; तथा
- बेहतर और ससमय वित्तीय प्रतिवेदित करना।

निदेशक मंडल अपनी कम्पनी के शासन के लिए उत्तरदायी होता है। मुख्य घटकों जो निगमित शासन की तंत्रों की रचना करते हैं वे निदेशक मंडल, निदेशकों के प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा समिति के गठन से संबंधित मामले हैं।

भारत में निगमित शासन के लिए कानूनी और नियामक ढाँचे कम्पनी अधिनियम, 1956 और सेबी के दिशा-निर्देशों से, जो सूचीबद्ध कम्पनियों में लागू है, शासित है। झारखण्ड में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं (**परिशिष्ट-9**), जिनमें से कोई भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं है। अतः सेबी के दिशा-निर्देश, उन पर लागू नहीं होते हैं।

⁴ ₹ 99,86,847 x 122.709/1281

⁵ ₹ 95,74,041 पर 13 प्रतिशत की दर से (नवम्बर 2012 तक 76 महीने के लिए)।

हमने, 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए नौ कम्पनियों⁶ में निगमित शासन के प्रणाली का, विभिन्न सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं पर इन कम्पनियों के अनुपालन के निर्धारण के उद्देश्य से, समीक्षा किया।

3.4.2 निदेशक मंडल

सुशासन का उत्तरदायित्व निगम मंडल पर निहित होता है जिसका प्राथमिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि निगमित शासन के लिए कानून में सन्निहित सिद्धान्तों का स्वेच्छा से पालन हो रहा है और हितधारकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस प्रयोजन हेतु यह अत्यावश्यक है कि प्रत्येक कम्पनी को नियमित अंतराल पर निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करनी चाहिए। प्रत्येक निदेशक को इन बी.ओ.डी. की बैठकों में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने के लिए और कम्पनी के मामलों में मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित होना चाहिए।

निदेशक मंडल की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक कम्पनी को अपने बी.ओ.डी. की बैठक, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार और प्रत्येक वर्ष कम से कम चार ऐसे बैठक का आयोजन करनी चाहिए। 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान आयोजित बी.ओ.डी. के बैठक से संबंधित विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- 10** में दर्शाये गये हैं।

परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि सभी नौ कम्पनियाँ, जिसकी निगमित शासन की प्रणाली की जाँच की गई थी, कम्पनी अधिनियम की धारा 285 के प्रावधान का पाँच से 15 बार तक उल्लंघन किया था। जिडको ने 15 ऐसे बैठक आयोजित नहीं किया जब कि टी.वी.एन.एल., जे.पी.एच.सी.एल., जे.टी.डी.सी., जे.एस.एम.डी.सी. और जी.आर.डी.ए. ने दस या उससे अधिक अवसरों पर सांविधिक प्रावधानों से विचलित हुए। जे.एस.एम.डी.सी. और जिडको के दो बी.ओ.डी. की बैठक के बीच में अधिकतम अंतराल क्रमशः 25 महीने और 21 महीने था।

हमने पुनः पाया कि टी.वी.एन.एल. में पिछले बैठक से 10 महीने से 15 महीने के अन्तराल पर बी.ओ.डी. की तीन बैठक⁷ हुई। मई 2010 को हुई बी.ओ.डी. की 27वीं बैठक में अध्यक्ष ने पाया कि त्वरित नीतिगत निर्णय सुनिश्चित करने के लिए बी.ओ.डी. की बैठक कम अंतराल पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कम्पनी के बी.ओ.डी. की बैठक आयोजित करने में देरी के कारण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय, जिसे लेने का अधिकार केवल बोर्ड पर निहित था,

⁶ झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको), झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको), झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट), तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.), झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.), झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी.), झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.), ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.) तथा झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.)।

⁷ 22वीं बैठक दिसम्बर 2007 में, 26वीं बैठक मई 2009 में और 27वीं बैठक मई 2010 में हुआ।

अध्यक्ष के द्वारा लिये गये तथा उन्हें बोर्ड की अगली बैठक में पोस्ट फैक्टो अनुमोदन के लिए रखा गया।

इस प्रकार, इन कम्पनियों के प्रबंधक कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान को पालन करने में विफल रहे थे।

निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

परिशिष्ट-11 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान, आठ कम्पनियों⁸ में हुए बी.ओ.डी. की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निर्दिष्ट करता है। परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि हमारे द्वारा समीक्षा किये गये अवधि के दौरान टी.वी.एन.एल. में बोर्ड की सभी बैठक में सभी निदेशक उपस्थित थे। अन्य सात कम्पनियों में, इस अवधि के दौरान निदेशक अपने कार्यकाल में 131 बैठक में से 39 बैठक में ही उपस्थित थे, चार कम्पनियों⁹ से संबंधित आठ निदेशक बोर्ड के किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं थे जबकि 23 निदेशक अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की दो से 10 बैठक में से एक से चार बैठक में ही उपस्थित हुए। यह इंगित करता है कि निदेशकों ने कम्पनियों के प्रबंधन मामले में और कम्पनियों/हितधारकों के हित की रक्षा से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भाग नहीं लिया।

प्रबंध निदेशकों के बारम्बार परिवर्तन एवं निदेशकों की रिक्तियाँ

शीर्ष कार्यकारियों में बारम्बार परिवर्तन से कम्पनी के सुचारु कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। **परिशिष्ट-12** 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान प्रबंध निदेशकों का विवरणी दर्शाता है जिनके कार्यकाल एक वर्ष से कम थे। यह देखा जा सकता है कि 2007-12 की समयावधि में, हमारे द्वारा समीक्षा किये गये नौ कम्पनियों में से पाँच कम्पनियों जैसे टी.वी.एन.एल., जे.पी.एच.सी.एल., जे.टी.डी.सी., जे.एस.एम.डी.सी. और जी.आर.डी.ए. के आठ प्रबंध निदेशक के कार्यकाल 23 दिनों से 11 महीने 21 दिनों के बीच में थे। इसके अलावा, 2007-12 की अवधि के दौरान टी.वी.एन.एल. के अध्यक्ष का पद करीब 19 महीने¹⁰ तक और प्रबंध निदेशक का पद दो महीने सात दिनों तक रिक्त थे। अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के पद में बारम्बार परिवर्तन और रिक्तियों के परिणामस्वरूप, नियमित रूप से और समय पर बी.ओ.डी. की बैठक नहीं हो सकी। जे.एस.एम.डी.सी. में प्रबंध निदेशक का पद दो महीने और 14 दिनों तक रिक्त था। 2007-12 की अवधि में जे.पी.एच.सी.एल. में एक निदेशक का पद कई दौर में कुल दो वर्ष सात महीने के अवधि के लिए रिक्त था।

⁸ झालको द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं की गई थी।

⁹ जिडको, जे.एस.एफ.डी.सी., जे.एस.एम.डी.सी. और जे.टी.डी.सी.।

¹⁰ 01.04.2007 से 17.12.2007; 18.06.2008 से 01.03.2009 और 29.05.2011 से 05.08.2011।

निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त का प्रस्तुतीकरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 193 के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक आम सभा तथा निदेशक बोर्ड या बोर्ड की प्रत्येक समिति की, प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त, प्रत्येक ऐसे बैठक के समाप्ति के तीस दिनों के अंदर बनाकर रखना होगा, जिसे एक पंजी में दर्ज किया जाएगा जिसके पन्नों पर क्रमागत संख्या अंकित रहनी चाहिए, प्रत्येक पन्ने में अध्यक्ष का अद्याक्षर और अंतिम पृष्ठ पर उसी बैठक के अध्यक्ष या अगले बैठक के अध्यक्ष के तिथि सहित हस्ताक्षर होनी चाहिए।

हमने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- यद्यपि जे.टी.डी.सी. कार्यवृत्त पुस्तक का अनुरक्षण किया, लेकिन इनमें 2007-08 से प्रविष्टियाँ नहीं की थी।
- जी.आर.डी.ए. में, आयोजित आठ बैठक में से केवल एक बैठक की कार्यवृत्त हस्ताक्षरित थी।
- झारक्राफ्ट में, आयोजित 13 बैठक में से चार बैठक की कार्यवृत्त बिना तिथि के हस्ताक्षरित थे, सात बैठक की कार्यवृत्त एक महीना 27 दिनों से छः महीने दो दिनों की देरी के बाद हस्ताक्षरित हुए थे तथा 13वीं बैठक की कार्यवृत्त मार्च 2012 तक अहस्ताक्षरित थे।
- 2007-08 के दौरान जे.पी.एच.सी.एल. में 15 आयोजित बैठक में से, बैठक की तीन कार्यवृत्त बिना तिथि के हस्ताक्षरित थे तथा शेष बैठक की कार्यवृत्त के हस्ताक्षर में 16 दिनों से आठ महीने आठ दिनों तक की देरी हुई थी।
- जे.एस.एफ.डी.सी. में 16 आयोजित बैठकों में से केवल एक बैठक की कार्यवृत्त पर अद्याक्षर एवं हस्ताक्षर थे; 13 बैठक में कार्यवृत्त के हस्ताक्षर में 15 दिनों से चार महीने 20 दिनों तक की देरी पायी गयी जबकि दो बैठक में कार्यवृत्त न तो हस्ताक्षरित थे न ही अद्याक्षरित किए गए थे।
- टी.वी.एन.एल. में, 14 बैठक के केवल एक कार्यवृत्त उचित समय पर हस्ताक्षरित था, दो कार्यवृत्त पर अद्याक्षर थे लेकिन कार्यवृत्त-पुस्तक के अंतिम पृष्ठ अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे जबकि बैठकों की शेष कार्यवृत्त न ही हस्ताक्षरित न ही अद्याक्षरित थे।

शेयरधारकों को निदेशकगणों का प्रतिवेदन

कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा 217(2एए), अपेक्षा करता है कि बी.ओ.डी. शेयरधारकों को प्रतिवेदित करेगा कि कम्पनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी के साथ लेखा अभिलेखों का रख रखाव किये गये हैं। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठा के साथ बी.ओ.डी. के एक प्रतिवेदन, निदेशकों के उत्तरदायित्व से संबंधित विवरण सहित कम्पनी के वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किया जाना है।

हमने पाया कि सभी नौ कम्पनियाँ, कम्पनी के वार्षिक आम सभा (ए.जी.एम.) में प्रत्येक आर्थिक चिट्ठा के साथ निदेशकों के उत्तरदायित्व से संबंधित विवरणी को सम्मिलित किए थे।

लेखापरीक्षा समिति

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए अपेक्षा करता है कि प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी जिसकी चूकता पूँजी पाँच करोड़ रुपये से कम न हो, बोर्ड स्तर पर, एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगा।

लेखापरीक्षा समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के निर्धारण और समीक्षा करने का है तथा यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय विवरणियाँ सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं। वार्षिक लेखे के अंतिमीकरण के पहले यह समिति, सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ सभी मुद्दों पर अनुवर्तन और विचार-विमर्श करता है। यह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आंतरिक लेखापरीक्षक के साथ विचार-विमर्श करता है एवं उस पर अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा करता है। यह वित्तीय और जोखिम प्रबंधन की भी समीक्षा करता है और आंतरिक छानबीन के निष्कर्षों का मूल्यांकन करता है, जहाँ कोई संदिग्ध धोखाधड़ी, अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वृहद प्रकृति के विफलता है तथा इस संबंध में बोर्ड को प्रतिवेदित करता है।

हमारे द्वारा समीक्षित नौ कम्पनियों में से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए केवल एक कम्पनी¹¹ अर्थात्, झारक्राफ्ट में वर्ष 2009-10 से लागू था। तथापि, हमने अवलोकित किया कि कम्पनी ने अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन न करते हुए अब तक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया है।

हमने, पुनः अवलोकित किया कि टी.वी.एन.एल. एक विद्युत उत्पादन से जुड़ी निजी लिमिटेड कम्पनी, जिसका चुकता पूँजी ₹ 105 करोड़ है, का 16 वर्षों से वार्षिक लेखे 1996-97 से बकाये हैं। अतः कम्पनी लेखे के त्वरित अंतिमीकरण एवं अनुश्रवण के लिए लेखापरीक्षा समिति के गठन पर विचार कर सकती है।

¹¹ अन्य आठ कम्पनियाँ जो सरकारी कम्पनियाँ भी हैं, पर निजी कम्पनी की तरह पंजीकृत है इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए की आवश्यकता से मुक्त है।

3.4.3 प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता

कम्पनी निबंधक के पास वार्षिक रिटर्न का दाखिल करना

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 159 के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी के शेयर पूँजी होने पर, अपने पंजीकृत कार्यालय, इसके सदस्यों एवं ऋण धारकों का विवरण, अंश पूँजी और ऋण-पत्र इत्यादि और इसके निदेशकों, प्रबंध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करते हुए, वार्षिक रिटर्न निर्धारित प्रोफार्मा में कम्पनी निबंधक को वार्षिक आम सभा आयोजित होने के दिन से 60 दिनों के अंदर दाखिल करेगा। यदि किसी वर्ष में किसी कम्पनी का वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं होता है, जिस दिन को वार्षिक आम बैठक होनी चाहिए उस दिन से 60 दिनों के अंदर या इससे पहले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रिटर्न निबंधक के पास दाखिल करना होगा।

कम्पनी के द्वारा कम्पनी निबंधक को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी से संबंधित विवरणी **परिशिष्ट-13** में निर्दिष्ट किया गया है। परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि 2007-12 के अवधि के दौरान, जे.एस.एम.डी.सी. ने वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, टी.वी.एन.एल. ने 1993-94 से वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है जबकि चार कम्पनियाँ अर्थात् झालको, जिडको, झारक्राफ्ट और जे.टी.डी.सी. एक से चार वित्तीय वर्षों का वार्षिक रिटर्न को दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा, सभी सात कम्पनियों ने प्रायः सभी वर्षों में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में 20 दिनों से तीन वर्ष दस महीने तक की देरी की है।

आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता का कम्पनी निबंधक को दाखिल करना

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 निर्दिष्ट करता है कि कम्पनी के वार्षिक आम बैठक में आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता प्रस्तुत करने के पश्चात उसे 30 दिनों के अंदर कम्पनी निबंधक को दाखिल करेगा। यदि किसी वर्ष में किसी कम्पनी का वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं होता है, जिस दिन को वार्षिक आम बैठक होनी चाहिए उस दिन से 30 दिन के अंदर या इससे पहले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता निबंधक के पास दाखिल करना होगा।

कम्पनियों के द्वारा 2007-08 से 2011-12 के अवधि के दौरान आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता कम्पनी निबंधक के पास दाखिल करने संबंधित विवरणी **परिशिष्ट-14** में निर्दिष्ट है। हमने पाया कि जे.एस.एम.डी.सी. और जी.आर.डी.ए. अपने स्थापना से ही आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता कम्पनी निबंधक को जमा नहीं किया था जबकि झालको ने वर्ष 2004-05 से आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता कम्पनी निबंधक को जमा नहीं किया है। टी.वी.एन.एल. ने भी अपने आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता दाखिल नहीं किया है चूँकि कम्पनी ने 1996-97 से अपने वार्षिक लेखे का अंतिमीकरण नहीं किया है। 2007-12 की अवधि

के दौरान पाँच¹² कम्पनियाँ आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता को दाखिल करने में एक महीना 17 दिनों से चार वर्ष चार महीने तक की देरी की है।

3.4.4 सामान्य

कम्पनी सचिव की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383(ए) यह निर्दिष्ट करता है कि सभी कम्पनियाँ जिनकी चुकता पूँजी पाँच करोड़¹³ रूपये से कम न हो, एक पूर्णकालिक कम्पनी सचिव नियुक्त करेगा। 15 मार्च 2009 तक छः कम्पनियों¹⁴ के पास दो करोड़ से अधिक की चुकता अंश पूँजी थी जिसमें से केवल दो (जिडको और जे.एस.एम.डी.सी.) कम्पनियों में पूर्णकालिक कम्पनी सचिव कार्यरत थे। 15 मार्च 2009 के पश्चात यद्यपि पाँच कम्पनियों (झालको, जिडको, झारक्राफ्ट, जी.आर.डी.ए. और टी.वी.एन.एल.) के पास पाँच करोड़ रूपये से अधिक की चुकता अंश पूँजी थी, केवल झालको और जी.आर.डी.ए. में इस अवधि में अंशकालिक कम्पनी सचिव नियुक्त किया था जबकि टी.वी.एन.एल. ने 17 मई 2011 तक अंशकालिक कम्पनी सचिव नियुक्त किया था और 5 सितम्बर 2011 से पूर्णकालिक कम्पनी सचिव नियुक्त किया। झारक्राफ्ट ने 23 मार्च 2011 तक कोई पूर्णकालिक कम्पनी सचिव की नियुक्ति नहीं किया जबकि 2008-09 से इसे एक पूर्णकालिक कम्पनी सचिव की नियुक्ति की आवश्यकता थी। इस प्रकार कम्पनियाँ ने 2007-12 के अधिकांश अवधि के दौरान या तो कम्पनी सचिव की नियुक्ति नहीं की या अंशकालिक कम्पनी सचिव की नियुक्ति की और इस प्रकार कम्पनी अधिनियम की आवश्यकताओं का उल्लंघन किया।

वार्षिक आम सभा एवं वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति

अधिनियम की धारा 166 के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी वार्षिक आम सभा के रूप में एक आम सभा प्रत्येक वर्ष आयोजित करेगा तथा इसके अगले सभा की तारीख के बीच पंद्रह महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कम्पनी, अधिनियम की धारा 210 के अनुसार कम्पनी का वार्षिक लेखा अर्थात् आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता, वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः महीने या एक कम्पनी के संबंध में प्रथम वार्षिक आम सभा के आयोजन के नौ महीने के अंदर बनाने का उत्तरदायी है।

2007-08 से 2011-12 के अवधि के दौरान कम्पनियों के द्वारा आयोजित वार्षिक आम सभा से संबंधित विवरणी **परिशिष्ट-15** में निर्दिष्ट किया गया है। हमने पाया कि 2007-12 के अवधि के दौरान दो कम्पनियाँ अर्थात् जे.पी.एच.सी.एल. और जे.एस.एफ.डी.सी. अपने वार्षिक आम सभा का आयोजन नियमित रूप से किए जब कि सात कम्पनियाँ प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया। टी.वी.एन.एल. इस अवधि के दौरान कोई वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं किया

¹² जिडको, झारक्राफ्ट, जे.पी.एच.सी.एल., जे.टी.डी.सी. और जे.एस.एफ.डी.सी.।

¹³ 15 मार्च 2009 से ₹ पाँच करोड़, पहले यह ₹ दो करोड़ था।

¹⁴ झालको, जिडको, जे.पी.एच.सी.एल., झारक्राफ्ट, जे.एस.एम.डी.सी. और टी.वी.एन.एल.।

चूँकि इसने इस दौरान किसी भी वर्ष के लेखे का अंतिमीकरण नहीं किया। अन्य छः कम्पनियाँ अर्थात् जे.टी.डी.सी., झारक्राफ्ट, झालको, जे.एस.एम.डी.सी., जी.आर.डी.ए. और जिडको ने एक से पाँच वर्षों तक अपने वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किये और इस प्रकार अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहे।

झारक्राफ्ट में, बोर्ड सात निदेशकों से समाविष्ट थे जिसमें इस अवधि के दौरान आयोजित पाँच वार्षिक आम सभा में से चार वार्षिक आम सभा में केवल दो से चार निदेशक उपस्थित हुए जबकि जे.एस.एफ.डी.सी. में सात पदस्थापित निदेशकों में से दो से पाँच की वार्षिक आम सभा में उपस्थिति थी। जे.पी.एच.सी.एल. में कम्पनी के द्वारा आयोजित वार्षिक आम सभा में (पाँचवीं स्थगित वार्षिक आम सभा को छोड़कर) आठ पदस्थापित निदेशकों में से केवल तीन से चार निदेशक ही उपस्थित थे।

मामला प्रबंधन/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2012); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।

3.4.5 निष्कर्ष

- अधिकांश कम्पनियों में बोर्ड की बैठक का नियमित रूप से आयोजन नहीं किया गया जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन था;
- बोर्ड की बैठक और वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति अनियमित था;
- अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार निदेशक मंडल के बैठक की कार्यवृत्त उचित ढंग से नहीं रखे गये थे;
- झारक्राफ्ट के द्वारा लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था;
- अनिवार्य अनुपालन संबंधित दाखिले अर्थात् वार्षिक रिटर्न और आर्थिक चिट्ठे तथा लाभ व हानि खाता को निर्धारित तिथि के अंदर कम्पनी निबंधक को नहीं किये गये थे;
- अधिनियम के आवश्यकतानुसार कम्पनी सचिवों की नियुक्ति नहीं की गयी थी;
- कम्पनियों ने प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया; और
- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159, 166, 193, 220, 292 (ए) और 383 (ए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना एक दण्डनीय अपराध है जिसमें जेल और ₹ 500 से ₹ 50,000 तक का जुर्माना होता है। इस प्रकार, दोषी कम्पनियाँ कानूनी आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दण्डात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी है।

सांविधिक निगम

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

3.5 डी.सी.एस. नियंत्रक कार्ड्स की अधिप्राप्ति में देरी के कारण उत्पादन की हानि

वार्षिक रख-रखाव अनुबंध करने में बोर्ड की विफलता, अतिरिक्त नियंत्रक कार्ड्स की भंडार में अनुपलब्धता और वितरित नियंत्रण प्रणाली के लिए नियंत्रक कार्ड्स की अधिप्राप्ति में विलंब के परिणामस्वरूप पी.टी.पी.एस. की इकाई संख्या-4, 516.50 घंटा तक बंद रहा। इसके फलस्वरूप 17.97 एम.यू. की विद्युत उत्पादन की हानि तथा ₹ 2.53 करोड़ के अंशदान की हानि हुई।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) का एक वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान पतरातू में है। पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (पी.टी.पी.एस.) की इकाई संख्या-4 का संचालन वितरित नियंत्रण प्रणाली (डी.सी.एस.) द्वारा नियंत्रित होता है। ए.बी.बी. लिमिटेड ने ₹ 1.07 करोड़ की लागत पर पी.टी.पी.एस. की इकाई संख्या-4 (40 मेगावाट क्षमता) के डी.सी.एस. (डेल निर्मित) को एक वर्ष के वारंटी के साथ 2008 में स्थापित और चालू किया था। इसमें पाँच कार्य स्थलों (डाटा पहुँचाने और तार्किक कार्य के लिए एक अभियांत्रिकी स्थल सहित), सर्वर और अन्य डी.सी.एस. पैनल इकाई नियंत्रण कक्ष में शामिल था।

हमने पाया (फरवरी 2012) कि इकाई संख्या-4 के डी.सी.एस. के दो कार्य स्थल, उनके लघु कम्प्यूटर प्रणाली इन्टरफेस (एस.सी.एस.आई.) नियंत्रक कार्ड्स जो कम्प्यूटर और सर्वर के बीच संवाद का काम करता है की क्षति होने के कारण क्रमशः 18 सितम्बर 2010 और 3 अक्टूबर 2010 को बंद हो गये। पी.टी.पी.एस. के द्वारा वितरित नियंत्रण प्रणाली (डी.सी.एस.) के मरम्मत/रख-रखाव का वार्षिक अनुसंधान संविदा (ए.एम.सी.) नहीं किया गया था और एस.सी.एस.आई. नियंत्रक कार्ड्स/अतिरिक्त कम्प्यूटर प्रणाली भी पी.टी.पी.एस. के भंडार में उपलब्ध नहीं थे। पी.टी.पी.एस. के उपयोगकर्ता विभाग¹⁵ ने ए.बी.बी. से मालिकाना आधार पर डेल निर्मित डी.सी.एस. के लिए कम्प्यूटर के पूरे सेट की अधिप्राप्ति के लिए तत्काल आवश्यकता प्रस्तुत किया (9 नवम्बर 2010)। संयंत्र प्रबंधन ने एस.सी.एस.आई. नियंत्रक कार्ड्स के क्रय के लिए 26 नवम्बर 2010 को डेल इंडिया, बंगलोर और इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आई.एल., कोटा) से 17 जनवरी 2011 को पूछताछ किया था, परन्तु उनसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बावजूद, बोर्ड ने मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए एस.सी.एस.आई. नियंत्रक कार्ड की आपूर्ति के लिए किसी अन्य आपूर्तिकर्ता को खोजने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसी बीच अन्य तीन कार्य स्थलों (अभियांत्रिकी स्थल सहित) के एस.सी.एस.आई. नियंत्रक कार्ड्स 20 जुलाई 2011, 2 अगस्त 2011 और 22 अगस्त 2011 को खराब हो गये जिसके कारण इकाई संख्या-4 को 22 अगस्त 2011 से बंद करना

¹⁵ इकाई संख्या-4 का विद्युत अनुसंधान विभाग।

पड़ा। इकाई बंद होने के बाद ही बोर्ड द्वारा एस.सी.एस.आई. नियंत्रक कार्ड्स के लिए एक अन्य आपूर्तिकर्ता (जाको कम्प्यूटर्स, मुम्बई) को इंटरनेट के माध्यम से खोजा (26 अगस्त 2011) तथा ₹ 71,400 के मूल्य पर पाँच एस.सी.एस.आई. नियंत्रक कार्ड्स के क्रय हेतु एक आदेश निर्गत किया (30 अगस्त 2011)। एस.सी.एस.आई. नियंत्रक कार्ड्स की प्राप्ति और स्थापना (11 सितम्बर 2011) होने के बाद इकाई संख्या-4 में विद्युत उत्पादन 12 सितम्बर 2011 से पुनः प्रारम्भ हो गया। पी.टी.पी.एस. की इकाई संख्या-4, 22 अगस्त 2011 से 11 सितम्बर 2011 (516.50 घंटे) तक बंद रही जिसके कारण 17.97 एम.यू.¹⁶ की उत्पादन हानि और ₹ 2.53 करोड़¹⁷ की अंशदान हानि हुई। कंट्रोलर कार्ड्स की लागत जो मात्र ₹ 0.71 लाख थी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की अर्कमण्यता बोर्ड के हितों के लिए हानिकारक साबित हुआ।

बोर्ड ने कहा (सितम्बर 2012) कि संयंत्र के लिए डी.सी.एस. नया था और वे अनभिज्ञ थे कि मूल आपूर्तिकर्ता को छोड़कर कहाँ से नियंत्रक कार्ड्स की प्राप्ति की जाय। कई बार सम्पर्क करने के बाद भी फर्म (आई.एल., कोटा) से प्रतिक्रिया की कमी की वजह से ए.एम.सी. नहीं हो सका। ए.एम.सी. करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया गया है। उत्तर, ए.एम.सी. करने में तथा एस.सी.एस.आई. नियंत्रक कार्ड्स की समय पर अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने में बोर्ड की विफलता की पुष्टि करता है।

इस प्रकार, बोर्ड द्वारा ए.एम.सी. करने में विफलता, अतिरिक्त नियंत्रक कार्ड्स न रखने तथा इकाई संख्या-4 के डी.सी.एस. के लिए नियंत्रक कार्ड्स की अधिप्राप्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप इकाई बंद रही जिसके कारण 17.97 एम.यू. की उत्पादन हानि तथा ₹ 2.53 करोड़ की अंशदान की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012); उनके उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2013)।

सामान्य

3.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

3.6.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गए खातों एवं अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ प्रारम्भ की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यकारी से प्रतिक्रिया तथा उपयुक्त समय में उत्तर प्राप्त करें।

वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमशः जुलाई 2009, अगस्त 2010, अगस्त 2011 एवं सितम्बर 2012 में रखे गये थे। वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित चार विभागों के अन्तर्गत पाँच सा.क्षे.उ. से संबंधित 25 कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा में से

¹⁶ 87 % पी.एल.एफ. पर 40 एम डब्ल्यू. भार x 516.50 परिचालन घंटे/1000।

¹⁷ 17.97 एम.यू. x ₹ 1.41 {अंशदान की हानि प्रति इकाई अर्थात् 2010-11 में औसत बिक्री वसूली प्रति इकाई (₹ 2.96) - परिवर्तनीय लागत प्रति इकाई (₹ 1.55)}।

24 कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित उत्तर सरकार से 30 सितम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए हैं जैसा की नीचे इंगित किया गया है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा	संबंधित विभागों की संख्या	कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2007-08	9	3	8
2008-09	5	2	5
2009-10	7	2	7
2010-11	4	3	4
कुल	25		24

विभागावार विश्लेषण **परिशिष्ट-16** में दिया गया है।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.6.2 वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, 35 कंडिकाएं तथा आठ निष्पादन लेखापरीक्षाएं सम्मिलित की गयी थी। इनमें से 30 सितम्बर 2012 तक सात कंडिकाओं तथा तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की गयी थी। वर्ष 2001-02 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के तीन कंडिकाओं एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में कोपू ने अनुशंसाएँ की थी।

कोपू की कार्य प्रणाली नियमावली के अनुसार संबंधित विभागों को कोपू की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियों (ए.टी.एन.) तीन माह के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालाँकि विभागों द्वारा ए.टी.एन. हमें कोपू द्वारा ए.टी.एन. की चर्चा के समय ही उपलब्ध कराए जाते हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

3.6.3 लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए तथा तत्काल निस्तारित ना हुए लेखापरीक्षा अवलोकनों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य सरकार के संबंधित विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के माध्यम से संसूचित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर, संबंधित विभागों के प्रमुखों के माध्यम से छः सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मार्च 2012 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित होता है कि 357 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 1388 कंडिकाएं सितम्बर 2012 के अंत तक अनिस्तारित रही। 30 सितम्बर 2012 के अंत तक विभागावार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों का विवरण **परिशिष्ट-17** में दिया गया है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कंडिका एवं निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एवं प्रधान सचिव, वित्त को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा छः सप्ताह के अंदर तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि एवं उन पर उनकी टिप्पणियों की अपेक्षा सहित प्रेषित की जाती है। मई से जुलाई 2012 के मध्य विभिन्न विभागों को अग्रसारित पाँच प्रारूप कंडिकाओं एवं एक

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में से केवल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के उत्तर सरकार से अभी तक (जनवरी 2013) प्राप्त हुए थे तथा प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2013) जिसका विवरण **परिशिष्ट-18** में दिया गया है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (अ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया अस्तित्व में रहे जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा कोपू की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियाँ निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रेषित करने में विफल रहे हैं, (ब) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिम/अधिभुगतान को वसूल करने की कार्यवाही हो और (स) लेखापरीक्षा अवलोकनों के उत्तर देने की प्रणाली को सुदृढ़ कर दिया गया है।

रांची
दिनांक :



(मृदुला सपू)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक :



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक